कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषयः—जनपद— बागेश्वर में व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। **FP/UK/ROAD/12810/2015**

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा दी गयी बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके स्तर से उन इन बिन्दुओ के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट ।। में सही सूचना अपलोड़ करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप से दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार वापस लौटाया जा चुका है। परन्तु फिर भी न तो प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस ओर ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, आपको कई बार भारत सरकार द्वारा लगाई गई निम्नलिखित कमियों के निराकरण हेतु आनलाईन पत्र भेजा जा चुका है। परन्तु फिर भी आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही प्रस्ताव को पुनः मात्र औपचारिकता निभाते हुए इस कार्यालय को अग्रसारित किया गया है जो कि लापरवाही का सूचक है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, तथा प्रकरणो को वापस लौटाया जा रहा है। कृपया भविष्य में यह सुनिचित किया जाए की भारत सरकार/इस कार्यालय द्वारा वान्छित बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उल्लिखित के अनुसार ही इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना आपके द्वारा किस पार्ट के किस कॉलम के किस स्थान में अपलोड की गई है, की स्पष्ट सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

1- NPV calculated for dense forest but density 0.3 does not appear correct for the dense forest need clarification and necessary correction.

2- As the proposed road linked with previously sanctioned road therefore the details of proposal sanctioned in past may be provided in appropriate column of part I.

3- Wildlife details area not provided in part II.

4- Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest (in km.) is not filled correctly at column 7.